न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा, जिला–बेमेतरा

छत्तीसगढ़ रजत 25 महोत्सव गौरव उत्सव स्वर्णिम संकल्प

//ज्ञापन//

क्रमांक /2479/ प्र.1./अ.वि.अ./2025 बेमेतरा, दिनांक 10-11-

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग रायपुर,

विषयः– वृक्ष कटवाने की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा रा.रा. क्रं. 30 के कि.मी. 290.747 से 295.180 तक बेमेतरा बायपास निर्माण कार्य प्रगति पर है, उक्त बायपास निर्माण में मोहभट्ठा रोड स्थित मोहभट्ठा गार्डन प्रभावित हो रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बेमेतरा का पत्र क्रं. 887/न.पा/लो.नि.वि./2025 दिनांक 06.08.2025 द्वारा मोहभट्ठा गार्डन स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन कर राशि रू. 87.44 लाख की मांग की गयी है। मूल्यांकन भुगतान पश्चात् मोहभट्ठा गार्डन स्थित प्रभावित हो रहे विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का विदोहन किया जाना है। अतः विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का संयुक्त स्थल निरीक्षण कर विदोहन की अनुमति प्रदान करने आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मोहभट्ठा गार्डन बायपास के.के. ढाबा बेमेतरा से नवागढ़ चौक अंतर्गत प्रभावित (कुल 141 नग) वृक्षों को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर क्रमांक 61/दिनांक 11 फरवरी 2022 के अनुसार क्रमांक एक 4–34/सात–1/2021, छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 258 की उपधारा–2 के खण्ड 61 एवं 62 सहपठित धारा 240 एवं 241 के अनुसार काटने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
बेमेतरा

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
बेमेतरा,जिला–बेमेतरा(छ.ग.)

पृ.क्रमांक /2480/ प्र.1/अ.वि.अ. /2025 बेमेतरा, दिनांक 10-11-2025

प्रतिलिपिः–

1. वनपरिक्षेत्र अधिकारी बेमेतरा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। उक्त वृक्षों को कटाने की कार्यवाही संपन्न कराने एवं कटे हुए वृक्षों को अपने विभाग के संरक्षण में रखें।
2. संबंधित राजस्व निरीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। मौके पर आपके स्वयं की उपस्थिति में वृक्ष कटाई की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बेमेतरा, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग रायपुर को जितने वृक्षों की कटाई की अनुमति प्रदान की जा रही है उतने ही वृक्ष निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात सड़क के दोनों ओर शासकीय भूमि पर वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण करने की कार्यवाही करेंगे, इसी शर्त पर अनुमति प्रदान की जाती है।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
बेमेतरा

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
बेमेतरा,जिला–बेमेतरा(छ.ग.)